केन्द्रीय सेक्टर की एस0एस0एस0 योजनान्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित स्टेट हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी (एस0एच0एल0सी0) की बैठक दिनांक 21–04–2023 का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः–संलग्न।

केन्द्रीय सेक्टर की सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रैन्थिनिंग (एस0एस0एस0) योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टेट हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी (एस0एच0एल0सी0) की बैठक दिनांक 21–04–2023 को सम्पन्न हुई, जिसमें समिति की दिनांक 25–03–2023 को सम्पन्न तैयारी बैठक में मुख्य सचिव द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागों को दिये गये निर्देशों के कम में पूर्व राज्य कार्यक्रम में सम्मिलित कार्यक्रमों/गतिविधियों की वर्तमान परिवेश में प्रासंगिकता न होने के दृष्टिगत ड्रॉप किये जाने हेतु प्रस्तावित तथा इनके स्थान पर प्रस्तावित नये कार्यक्रमों/गतिविधियों के लिये उपलब्ध कराये गये Terms of Reference (ToR) के सम्बन्ध में चर्चा की गयी।

प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा भारत सरकार की उक्त योजना का संक्षिप्त परिचय देते हुए अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त योजना में वर्ष 2015 में प्रतिभाग किया गया तथा भारत सरकार द्वारा जनवरी 2017 में उक्त योजना का स्वरूप केन्द्र पुरोनिधानित योजना से शत्–प्रतिशत केन्द्रीय सेक्टर की योजना के रूप में परिवर्तित करते हुए प्रदेश के लिए कुल रू0 42.1674 करोड़ का आवंटन किया गया। प्रदेश स्तर पर तत्समय उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष 53 गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए एक राज्य कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसके आधार पर प्रदेश सरकार व भारत सरकार के मध्य दिनांक 30–06–2018 को एक एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया। पुनः भारत सरकार के निर्देशन में प्रदेश स्तर पर उक्त राज्य कार्यक्रम में एस0डी0जी0 से सम्बन्धित 6 गतिविधियों को जोड़ते हुए एस0एच0एल0एस0सी0 की बैठक दिनांक 30–03–2021 को संशोधित राज्य कार्यक्रम अनुमोदित कराया गया।

उक्तानुसार संशोधित राज्य कार्यक्रम में सम्मिलित 59 गतिविधियों में से अब तक कुल 5.29 करोड़ की धनराशि व्यय करते हुये पूर्ण की जा चुकी कुल 20 गतिविधियों पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गयां। इस प्रकार उक्त योजनान्तर्गत अब रू0 36.88 करोड़ की धनराशि अवशेष है।

अवगत कराया गया कि पूर्व अनुमोदित राज्य कार्यक्रम में से अनारम्भ 34 गतिविधियों के सापेक्ष दिनांक 25–03–2023 को एस0एच0एल0एस0सी0 की बैठक में ड्राप किये जाने हेतु प्रस्तावित 28 गतिविधियों की वर्तमान में प्रासंगिकता के दृष्टिगत इन्हें संचालित किये जाने का प्रस्ताव किसी भी विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः पूर्व अनुमोदित राज्य कार्यक्रम में से इन प्रस्तावित 28 गतिविधियों को ड्राप किये जाने पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 25–03–2023 की बैठक के एजेण्डा 1 व 2 में प्रस्तावित किये गये कुल 15 अध्ययन/सर्वेक्षणों में से परिवहन एवं सहकारिता विभाग के प्रस्तावित अध्ययन/सर्वेक्षण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा विभागीय स्तर पर पृथक से कार्यवाही संचालित होने के दृष्टिगत तथा उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अध्ययन वर्तमान परिवेश में प्रासंगिक न होने के कारण सहमति प्रदान नहीं की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 25.03.2023 की SHLSC की बैठक में दिये गये निर्देशों के कम में विभागों द्वारा 6 नये अध्ययन/सर्वेक्षणों प्रस्तावित किये गये हैं, जिन्हें सम्मिलित करते हुये कुल 18 अध्ययन/सर्वेक्षणों की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्न 10 अध्ययन/सर्वेक्षण के लिये विभागों द्वारा संस्थान प्रस्तावित किये गये हैं, जिन पर तालिका में दिये गये विवरणानुसार समिति द्वारा अध्ययन कार्य कराये जाने पर सहमति प्रदान की गयी–

S.No.	Proposed Activity	Consented by Departments	Institute
1	Feasibility study to increase the contribution of egg production in the state from current 2.97% t0 10% and above of the egg production in India.	Animal Husbandry	IIM Lucknow
2	Survey to assess consumption & supply source of construction materials such as Cement, steel and other construction materials used in public & private constructions	Public works department	GIRI Institute
3	Survey to capture the specie-wise milk production and price differential and value addition through informal transaction in milk.	Animal Husbandry/ Dairy	IIM Lucknow
4	Survey to identify exhaustive list of flowers & other ornamental/ medicinal plants being produced in the state.	Horticulture Department	GIRI Institute
5	Survey to capture the production & prices of high value/exotic fruits like dragon fruit, Rasbhari, strawberry, kiwi Ramphal etc. produced in UP	Horticulture Department	GIRI Institute
6	Survey to assess district wise utilisation of ponds and other water bodies for fishing and collection of variety wise fish production/prices in the state including ornamental fish.	Fisheries Department	IIM Lucknow
7	Study on socio-economic condition of women in state particularly their participation in workforce	Women welfare	GIRI Institute
8	District wise assessment of marketable surplus milk in the State	Dairy Development	IIM Lucknow
9	Total installed Milk Processing Capacity in the State		IIM Lucknow
10	Estimation of Farmers income in Uttar Pradesh During 2022 23 and its extent of Increase over 2017-18 a field survey based Study.	Agriculture	GIRI Institute

इस प्रकार केन्द्रीय सेक्टर की सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रैन्थिनिंग (एस0एस0एस0) योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित अध्ययन/सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा के उपरान्त मुख्य सचिव द्वारा निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रस्तावित उक्त अध्ययन/सर्वेक्षणों के लिय विस्तृत टी0ओ0आर0 तैयार करने के साथ ही अध्ययन/सर्वेक्षण से सम्वन्धित संस्थानों को phase wise भुगतान की प्रक्रिया का भी निर्धारण कर समस्त विवरण विलम्बतम तीन दिवस में नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. भारत सरकार से संशोधित राज्य कार्यकम के सम्वन्ध में अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त अर्थ एवं संख्या प्रभाग, नियोजन विभाग द्वारा प्रमुख सचिव, नियोजन की अध्यक्षता में गठित स्टेट इम्प्लीमेंन्टेशन समिति (SIC) में अध्ययन/सर्वेक्षणों के लिये टी0ओ0आर0 एवं संस्था आदि के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णयोपरान्त निर्धारित धनराशि सम्बन्धित विभागों को अन्तरित कर दी जायेगी। सम्बन्धित विभागों द्वारा नामित संस्थाओं से अध्ययन/सर्वेक्षण का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ अध्ययन/सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी अर्थ एवं संख्या प्रभाग, नियोजन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निम्न तालिका के 6 अध्ययन/सर्वेक्षणों के लिये विभागों द्वारा संस्थान प्रस्तावित नहीं किये गये हैं, जिन पर समिति द्वारा गिरि विकास अध्ययन संस्थान से अध्ययन/सर्वेक्षण कार्य कराये जाने पर सहमति प्रदान की गयी–

S.No.	Proposed Activity	Consented by Departments
1	Study on enrolment & educational attainment of special need children	Divyang Jan
2	Survey to assess operational and economic characteristics of handicraft industries in the state and socio-economic status of artisans in the state.	Industry (Handicraft)
3	Capturing sales of Agri commodities through means other than Mandis, such as direct wholesalers, cold storages etc and crop-wise export prices	Agriculture Marketing
4	Survey to collect data on all horticulture crops	Horticulture
5	Survey for data collection of Aqua Horticulture Crops	Horticulture
6	Survey for data collection of Honey production	Horticulture

निर्देशित किया गया कि उक्त प्रस्तावित अध्ययन/सर्वेक्षणों से सम्वन्धित समस्त विभागों द्वारा विस्तृत टी0ओ0आर0 तैयार कर विलम्बतम तीन दिवस में अर्थ एवं संख्या प्रभाग, नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिनके द्वारा योजना की guidelines के दृष्टिगत phase wise धनराशि भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार गिरि विकास एवं अध्ययन संस्थान को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

4. पर्यटन विभाग द्वारा Survey on tourism industry , pvt hotels & restaurants to assess their contribution to GSDP से सम्बन्धित अध्ययन/सर्वेक्षण को अपने स्तर से सम्पादित कराये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिस पर सहमति प्रदान करते हुये अपेक्षा की गयी कि विभाग द्वारा इसके लिये विस्तृत टी0ओ0आर0 एवं phase wise धनराशि भुगतान की प्रक्रिया का भी निर्धारण कर विलम्बतम तीन दिवस में अर्थ एवं संख्या प्रभाग, नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा इस हेतु निर्धारित धनराशि पर्यटन विभाग को अन्तरित की जायेगी। पर्यटन विभाग द्वारा इसके लिये एक सक्षम संस्था का चयन कर चयनित संस्था से अध्ययन/सर्वेक्षण का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ अध्ययन/सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी अर्थ एवं संख्या प्रभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनोमी बनाये जाने की प्रदेश सरकार की प्रतिवद्धता के दृष्टिगत नियोजन विभाग द्वारा प्रस्तावित अध्ययन Developing of Frame by capturing digital footprint of unorganized sector activity including manufacturing, trade and a service sector for creation of integrated Data base for industries in unorganised sector to access their contribution in GVA के सम्बन्ध में MSME विभाग द्वारा विस्तृत टी0ओ0आर0 तैयार कर इस हेतु संस्था का निर्धारण करते हुये प्रस्ताव विलम्बतम तीन दिवस में अर्थ एवं संख्या प्रभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके आधार पर प्रभाग द्वारा उक्त प्रस्तावित अध्ययन को संशोधित राज्य कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुये अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6– नियोजन विभाग द्वारा प्रस्तावित निम्न 2 गतिविधियों को भी उक्त योजनान्तर्गत संचालित किये जाने पर समिति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी–

1. Designing of Methodology for realistic assessment of GDP at district level.
2. To develop a framework for assessment of contribution of digital economy in the GSVA.

7- सांख्यिकीय कार्यों में सम्बद्ध कार्मिकों की क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण के साथ–साथ सांख्यिकीय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी साझा करने हेतु वर्कशाप/सेमिनार आयोजित कराये जाने की व्यवस्था भी उक्त योजना के अन्तर्गत उपलब्ध है, जिसके लिए नियोजन विभाग द्वारा वर्कशाप/सेमिनार के

लिए विषय भी प्रस्तावित किये गये हैं। निर्देशित किया गया कि अन्य विषयों के साथ–साथ प्रदेश के सकल आय के आकलन के लिए समस्त सम्बन्धित विभागों के सांख्यिकीय संवर्ग के कार्मिकों की इससे समबन्धित आंकड़ों की महत्ता व इन्हें शुद्धता के साथ संग्रहित किये जाने हेतु संवेदनशीलता बढ़ाये जाने के लिए विशेष रूप से एक कार्यशाला का आयोजन किया जाय।

8– नियोजन विभाग एवं विभिन्न विभागों में उपलब्ध सांख्यिकीय संवर्गों के विभिन्न स्तर के कार्मिकों के साथ–साथ अन्य विभागों के भी सांख्यिकीय कार्यों से सम्बद्ध कार्मिकों की इस क्षेत्र में उपलब्ध नई तकनीकों के माध्यम से संग्रहण/संकलन/विद्यायन एवं विश्लेषण किये जाने सम्बन्धी क्षमता विकास हेतु प्रतिष्ठित संस्थानों यथाः– IIM, Lucknow, NIC/NIELIT, GIRI Institute आदि में प्रशिक्षण की व्यवस्था उक्त योजनान्तर्गत कराये जाने पर भी समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी। यह भी अपेक्षा की गयी कि इस हेतु विभिन्न स्तर के अधिकारियों/कार्मिकों के लिये पृथक–पृथक तीन–चार प्रशिक्षण माड्यूल तैयार कराकर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

9– SHLSC की दिनांक 30.03.2021 को सम्पन्न बैठक में SDG से सम्बन्धित अनुमोदित 6 गतिविधियों में से Development of Dash Board based on State Indicator Framework and District Indicator framework,in order to to Monitor SDG goals. को दीर्घकालीन योजना प्रभाग द्वारा NIC के सहयोग से inhouse पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराये जाने के क्रम में निम्न गतिविधियों को UNDP के माध्यम से सम्पादित कराये जाने हेतु नियोजन विभाग द्वारा UNDP के साथ MoA हस्ताक्षरित किया गया –

Sl. No	Sub Components/ Activities (New)	Expected Exp. (Rs.in crores)
1	Survey/Study to fill in data gaps in State Indicator/District Indicator framework of SDG	0.10
2	Training on implementation and monitoring of SDG Goals (Expenses on renumeration for trainers, travel expenses, rent of hall and expenses on other miscellaneous arrangements)	0.13
3	Workshops for feedback and mid-course correction in SDG Indicator Frameworks.	0.10
4	Publication of State /District SDG Reports and Publicity of SDG activities in State.	0.10
5	Strengthening of monitoring of SDG indicator framework.(A SDG cell will be formed to monitor SDG indicator Framework. Renumeration to consultants/data analyst/ computer operators/travel /office expenses will be borne by proposed amount.	0.429
	Management Fees (8%)	0.06872
	Total	**0.92772**

उपरोक्त गतिविधियों को जनहित एवं कार्यहित में योजनान्तर्गत सम्पादित कराये जाने पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

इस प्रकार केन्द्रीय सेक्टर की एस0एस0एस0 योजनान्तर्गत सम्मिलित की जाने वाली गतिविधियों/किया–कलापों को सम्बन्धित विभागों से उक्तानुसार प्राप्त विस्तृत प्रस्ताव के आधार पर योजनान्तर्गत उपलब्ध कुल अवशेष धनराशि के सापेक्ष गतिविधिवार धनराशि आवंटन करते हुए संशोधित राज्य कार्यकम को अन्तिम रूप प्रदान कर भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग को समिति द्वारा अधिकृत किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

केन्द्रीय सेक्टर की इस योजना को प्रदेश में संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्तमान में मार्च 2024 की तिथि निर्धारित है, परन्तु योजनान्तर्गत राज्य कार्यक्रम में संशोधन एवं भारत सरकार से अनुमोदन के उपरान्त गतिविधियों के सुचारू संचालन एवं गुणवत्तापूर्ण व result oriented Outcomes प्राप्त किये

जाने में समय लगने की सम्भावना के दृष्टिगत उक्त योजना को प्रदेश में **मार्च 2025** तक संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किये जाने पर भी समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

पत्रांक 1513 / 35-4-2023/35-4099 दिनांकः लखनऊः 24 मई ——, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग।
6. अपर मुख्य सचिव, उद्यान विभाग।
7. अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एण्ड इलेक्ट्रानिक्स।
8. आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग।
9. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग।
10. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग।
11. प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग।
12. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग।
13. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग।
14. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग।
15. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग।
16. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग।
17. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
18. प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन कल्याण एवं सशक्तिकरण विभाग।
19. श्री आशुतोष निरंजन, विशेष सचिव, नियोजन, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
20. उप महानिदेशक (SSPU.), साँख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
21. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
22. डा0 पी0 कुंवर, कार्यवाहक निदेशक, आर.एस.ए.सी., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
23. निदेशक, कृषि/ पशुपालन/ उद्यान/ पर्यटन/ मत्स्य/ दिव्यांगजन/ उच्च शिक्षा/ सूडा/आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0।

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।